

भी नहीं की जाये। इस राष्ट्रीय समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर हल निकाला जाय।”

(iv) WIDE SPREAD INCIDENCE OF MALARIA IN DELHI

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्त्री) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मलेरिया जैसा भयंकर रूप धारण करता जा रहा है तथा जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे दिल्ली के अधिकांश भाग प्रभावित होने की सम्भावना बढ़ गई है, इस बात की धीरे सखन का ध्यान धाकवित करना चाहता हूँ। स्थिति यह है कि गत वर्ष मलेरिया रोगियों की संख्या लगभग 5,390 थी, जब कि इसी अवधि में अर्थात् 15 अप्रैल तक इस बार लगभग 34,000 लोग मलेरिया से पीड़ित दर्ज किए गये। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बार मलेरिया में 6, 7 गुना वृद्धि हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजधानी के अन्दर मच्छरों की वृद्धि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा विभिन्न ठेकेदार जिम्मेदार हैं। राजधानी में चल रही गन्दगी को समाप्त करने के लिए तथा मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, अल्पके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान धाकवित करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अन्दर जो निम्नी कोठियाँ हैं या सरकारी कोठियाँ हैं उनमें कमकी लकड़ में पशु रखे जाते हैं, उनके सेनीटेसन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सी० डी० टी० तथा अन्य दवाओं का छिड़काव करने के लिए कोई भी प्रभावकारी उपाय नहीं किया जा रहा है जिससे कि मच्छर नरें। अहाँ तक पता चला है कि जैसा कि “नवभारत टाइम्स” में छपा है कि गत नवम्बर को महापौर के आदेश से इस विभाग के सिविल साइन्स ओल कार्यालय पर धारे गये छारे से पता चला था विभाग के आठे कर्मचारी इस दिन छुटी पर थे, लेकिन

रजिस्ट्रों में उनके नामों के आगे उस दिन छिड़कने के लिए दिया गया तेल दर्ज था। इस से पता चलता है कि सारे मामले में काफ़ी भ्रष्टाचार है। और यदि इसी प्रकार से स्थिति चलती रही तो भगले दिनों में काफ़ी मलेरिया केसेज बढ़ेंगे और ऐसा लगता है कि अस्पतालों के अन्दर उनकी भारी भीड़ लगेगी। इसी समाचार के अनुसार जो संख्या धाकी गई है उस हिसाब से वर्ष के अन्त तक अस्पताल में जाने वालों की संख्या, रोगियों की संख्या गढ़े ग्यारह लाख तक पहुँच जायेगी। यह एक भयावह स्थिति का संकेत है।

इसलिए मैं मंत्री जी से कहूँगा कि इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे तथा इस सम्बन्ध में सखन को भी अवगत करायेंगे।

(v) REPORTED ATTEMPT BY SUPPORTERS OF THE FORMER PRIME MINISTER TO DISTURB COURT PROCEEDINGS

श्री जगन्नुब चित्तारी (अधीनानाद) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक बहुत ही लोक महत्व के विषय को उठाना चाहता हूँ।

महोदय, दिनांक 18 अप्रैल को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में श्रीकै मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, श्री पी० के० जैन के न्यायालय के समक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी के हज्रियर होने के समय उनके समर्थकों ने संघटित रूप से न्यायालय में घुसने तथा न्यायालय के काम में अस्तित्व करने का प्रयास किया जिसके रोकने पर सीनास पुलिस पर साठी पत्थर तथा अन्य क्रियद्वारों से हमला किया गया। ये क्रोध ह्राव में लक्षी लिए हुए चीखरी चरण सिंह और अस्तिम माह के विरुद्ध अयमाजजनक नारे लगाते रहे। इतना ही नहीं इन्होंने पुलिस कार्डन तोड़कर न्यायालय में घुसने का प्रयास किया और हंगामे के साथ न्यायालय की कार्यवाही को रोकने का भी प्रयास किया। इसी प्रकार की घटना “किन्सा कुर्सी का” फ़िरम के मामले में चल रही कार्यवाही के